राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर—302005
दूरभाष नं. 0141—2227514, 5106516, फैक्स नं. 5106516
CIN - U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

राज सीड्स

ई—निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) उपलब्ध करवाने हेतु

निविदा प्रपत्र मूल्य 590रू (500+18% जी.एस.टी)

ई—निविदा के जरियें आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18.05.2018 दोपहर 01:00 बजे तक निविदा खोलने की तिथि 18.05.2018 को सायं 03:00 बजे तक

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान स्टेट सीड्स ...
जयपुर

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़
पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर
निविदा प्रपत्र

1 फर्म का नाम...

2. फर्म का पता...

3. दूरभाष संख्या...

4. निविदादाता की फर्म पंजीकृत होना आवश्यक है एव फर्म को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में 02 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव होना आवश्यक है :– **निम्न सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	कार्य अनुभव				

5. निविदा फार्म मूल्य रूपयें 590/– रूपये (500+ 18प्रतिशत जी.एस.टी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
   डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.......................................दिनांक.......................................राशि................

6. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रूपयें 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट एम.डी, आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
   डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.......................................दिनांक.......................................राशि................

7. अमानत राशि रूपयें 37,000/– का ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरशन लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरण :–
   डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.......................................दिनांक.......................................राशि................

8. यह निविदा राज्य सरकार की ई–निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के जरिये ली जावेगी उक्त निविदा राज्य सरकार के पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in तथा निगम की वेबसाईट www.rajseeds.org एवं एग्रीकल्चर पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते है। सम्बन्धित फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्यालय पर दिनांक 18.05.2018 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई–निविदाओं को दिनांक 18.05.2018 को सायं 03:00 बजे खोली जावेगी।

9. निविदा प्रपत्र में दर प्रस्ताव दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।

10. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे लिखित मे संविदा राशि के 0.25 प्रतिशत मुल्य रूपयें ..../– के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। साथ ही, 5 प्रतिशत धरोहर राशि (Performance security) जमा करानी होगी जिसमें अमानत राशि का समायोजन करते हुऐ शेष राशि जमा करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

11. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय उपकरण की मुख्यालय पर आवश्यकता रहेगी, जिसकी उपलब्धता सफल निविदादाता फर्म को सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यकतानुसार कप्यूटर ऑपरेटर मय उपकरण की संख्या में कमी/बढोतरी की जा सकती है।

12. संविदा आधार पर लिये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर एक वर्ष के लिए संविदा पर रखे जायेंगे। फर्म की सेवाएँ संतोषजनक होने पर नियमानुसार कार्य अवधि में वृद्वि की जा सकेगी।

13. भुगतान की शर्ते :–

(1) प्रत्येक माह की समाप्ति पर भुगतान हेतु फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करना होगा।

(2) फर्म को भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/आर.टी.जी.एस द्वारा किया जायेगा, फर्म को किये जाने योग्य भुगतान से नियमानुसार वैधानिक कटौतियां (आयकर, टी.डी.एस. इत्यादि) की जायेगी।

(3) भविष्य निधि, ई.एस.आई. तथा अन्य दायित्व जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी। जमा चालानों की प्रति अगले माह के देय भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के अभाव में अगले माह का भुगतान रोक दिया जावेगा।

14. विवाद होने पर वित्त (जी एन्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि तथा द्वितीय अपील अधिकारी वित्त विभाग होगें। अपील अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15. यह अनुबंध सेवा प्रदाता फर्म तथा राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य होगा।

16. कम्प्यूटर ऑपरेटर को फर्म द्वारा प्रति माह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को पारिश्रमिक चैक द्वारा/आर.टी.जी.एस. से भुगतान करना होगा। निविदा दर में सेवा कर के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर शामिल होंगे।

17. किसी कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर सेवा प्रदाता फर्म सूचित करने के 03 दिवस में बदलना आवश्यक होगा। निर्देशों की पालना नहीं करने पर फर्म की सेवाऐं असंतोषप्रद मानते हुए कार्यादेश निरस्त करते हुये उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

18. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अपराध और शास्तियाँ बाध्यकारी होगें।

19. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर. एस.एस.सी का होगा।

21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुऐ बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

23. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुऐ सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओ के विरूद्व न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन
जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

24 संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की सतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

25. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

26. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना के समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

27. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों को मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये गये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

28. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

29 संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्परूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

30. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित निमयों, उपनियमों , अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

31. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबधित श्रमिक (नियमन एवं उनुमूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

32. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधनों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

33. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

34. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

35. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिक्ति राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुऐ, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की संक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

36. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

37. उच्च कुशल--(Highly skilled) कार्य से आशय है, ऐसा कोई भी कार्य, जिसमें सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षो के व्यवहारिक (Practical) कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्यो के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित हैं।

38. राजस्थान सरकार, श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/1125 जयपुर दिनांक 16.01.2018 के अनुसार पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें:-

अनुसूची भाग । एवं ।। में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी का दरें (रूपयें में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
उच्च कुशल	7358/-	283/-

39. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।

40. उक्त नियोजनों मे कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।

41. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

42. 18 (अट्ठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के व्यस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।

43. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 01.10.2016 से 31.08.2017 तक अधिसूचना मे सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 150 अंक है।

44. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उस निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।

45. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2018 से लागू होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर

CIN - U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

दूरभाष नं. 0141–2227514, 5106516, फैक्स नं. 5106516

ई–निविदा फार्म

(तकनीकी निविदा)

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.
पंत कृषि भवन, जनपथ,
जयपुर।

विषयः– निविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) उपलब्ध करवाने हेतु।

(i) मैं...राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी निविदा के निर्देश, नियम व शर्तो से सहमत हूँ।

(ii) मै निविदा मे दी गई दरों पर निविदा अवधि में कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) उपलब्ध करवाने के लिये सहमत हूँ।

(iii) अमानत राशि रूपये 37,000 बैंक ड्राफ्ट संख्या...रूपयें .... (शब्दों में)... जमा करा दी गई है।

(iv) शर्तो के उल्लघन पर बीज निगम को मेरी धरोहर/अमानतराशि जब्त करने का अधिकार होगा।

(v) मैं निविदा की मांग अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रेषित/अपलोड कर रहा हूँ।

(vi) विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(vii) सम्पर्क विवरण

1. फर्म का नाम...
2. निविंदा दाता का नाम..
3. पूर्ण पता मय टेलिफोन/मोबाईल नम्बर...
4. फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (श्रम विभाग)..
5. सहकारिता विभाग में पंजियन संख्या...
6. कर्मचारी भविष्य निधि पंजियन संख्या..
7. आयकर रजिस्ट्रेशन/पैन नम्बर..
8. सेवा कर पंजियन संख्या...
9. ई.एस.आई. पंजियन संख्या ....

(viii) निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

क्र स.	दस्तावेज का नाम	जमा करवाने का तरीका
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. जयपुर

3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	www.eproc.rajasthan. gov.in पर अपलोड़ करें
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)	www.eproc.rajasthan. gov.in पर अपलोड़ करें
5	आय कर (पैन नम्बर)	www.eproc.rajasthan. gov.in पर अपलोड़ करें
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	www.eproc.rajasthan. gov.in पर अपलोड़ करें
7	कार्य अनुभव	www.eproc.rajasthan. gov.in पर अपलोड़ करें
8	निविदा मुल्य एवं प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करे एवं निविदा में दिये गये दिनांक व समय तक कार्यालय में जमा करवाये।
9	अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करे एवं निविदा में दिये गये दिनांक व समय तक कार्यालय में जमा करवाये।

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.

हस्ताक्षर निविदादाता

सील

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड़

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर

CIN - U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

दूरभाष नं. 0141–2227514, 5106516, फैक्स नं. 5106516

ई–निविदा फार्म
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम..
फर्म का पता..
मोबाईल नम्बर..

मैं / हम.. निम्न वित्तीय बोली एवं शर्तो पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय उपकरण निम्नानुसार उपलब्ध कराने के लिए सहमत है। निविदा की समस्त शर्तो से मैं / हम सहमत है।

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति श्रमिक मासिक	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13.36 प्रतिशत प्रति श्रमिक प्रति माह	ESI दर 4.75 प्रतिशत प्रति श्रमिक प्रति माह	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय उपकरण	15	7358					

(उपर्युक्त तालिका में स्मम्भ संख्या 1–4 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 से 9 तक में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टयां की जा सकेगी, जिसमें शेष स्तम्भ संख्या 5 से 9 तक में बोलीदाता द्वारा राशि शून्य अंकित करने पर अल्पकालिन ई–निविदा में वित्तीय निविदा मान्य नहीं होगी।)

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.
जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

सील